

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण- हेतु 1.046 हे० आरक्षित, 1.564 हे० सिविल, कुल 2.610 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (बमोली)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (बमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
विश्वजी विन्हास राजे
नारायणदगह